भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 35

दिनांक 19.11.2019/28 **कार्तिक**, 1941 **(शक) को उत्तर के लिए**

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014

† *35. **श्री केसिनेनी श्रीनिवासः**

श्री एम.वी.वी. सत्यनारायणः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2014 **में आंध्र प्रदेश के विभाजन के पश्चात् इसकी वित्तीय आवश्यकताओं के बारे में जानकारी प्राप्त की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;**

(ख) आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 **में प्रावधानों के दृष्टिगत आंध्र प्रदेश राज्य को पिछले पांच वर्षों के दौरान उच्च न्यायालय, सचिवालय सहित अमरावती में नए राजधानी नगर के निर्माण हेतु निर्गत निधि और संसाधन अंतराल के रूप में जारी की गई निधि का ब्यौरा क्या है;**

(ग) विशाखापत्तनम में नए रेलवे जोन की स्थापना के लिए आश्वासन, आईआईटी, आईआईएम, एम्स, गिरिजन विश्वविद्यालय, जनजातीय विश्वविद्यालय और केंद्रीय विश्वविद्यालय जैसी विभिन्न अग्रणी शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना के लिए जारी निधि सहित अब तक सरकार द्वारा किए गए प्रावधानों/पूरे किए गए आश्वासनों का ब्यौरा क्या है;

(घ) कडप्पा में एक नये इस्पात संयंत्र, दुग्गीराजुपतनम और अन्य चिन्हित स्थानों पर नए पत्तन न्यास के निर्माण के संबंध में दिए गए आश्वासनों को पूरा नहीं करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 **में बताए अनुसार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विधान सभा सीटें बढ़ाने के लिए कोई कार्रवाई शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?**

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन (एपीआर) अधिनियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसरण में पिछले पांच वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश राज्य को राजधानी शहर के लिए सहायता सहित जारी की गई निधियों का ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है। इसके अलावा, 14वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2015-20 की अवधि के लिए की

गई 22,113 करोड़ रु. की सिफारिश में से वर्ष 2015-19 के दौरान पोस्ट डिवोल्यूशन रेवन्यू डिफिसिट ग्रांट के रूप में 19,613 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है।

(ग): आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के बहुत से प्रावधानों को कार्यान्वित किया जा चुका है। आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के शेष प्रावधान कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच कुछ मुद्दे हैं, जिसके लिए दोनों राज्यों के बीच आपसी सहमति की आवश्यकता है। द्विपक्षीय मुद्दों को सौहार्दपूर्वक हल करने के लिए दोनों राज्यों के बीच आम सहमति बनाने के प्रयास किए जाते हैं।

अवसंरचनात्मक परियोजनाओं और शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना संबंधी कुछ प्रावधान लम्बी निर्माण अवधि वाले हैं, जिसके लिए अधिनियम में दस वर्ष की अवधि निर्धारित की कई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आन्ध्र प्रदेश में विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना के लिए 1638.34 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है।

सरकार ने एक नया साउथ कोस्ट रेलवे (एससीओआर) जोन स्थापित करने को भी अनुमोदित किया है, जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में होगा।

(घ): आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अनुसार स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) को वाईएसआर कड्प्पा जिले में एक एकीकृत स्टील संयंत्र लगाने के लिए व्यवहार्यता की जांच करनी थी। सेल ने व्यवहार्यता अध्ययन कर लिया है और यह बताया कि एकीकृत स्टील संयंत्र की प्रस्तावित स्वरूप में स्थापना को प्रथम-दृष्टया वित्तीय रूप से व्यवहार्य नहीं पाया गया।

डुग्गिराजूपट्टनम में एक प्रमुख पत्तन की स्थापना के प्रस्ताव को समीप के पत्तनों से भारी प्रतिस्पर्धा के कारण व्यवहार्य नहीं पाया गया था। अत:, आन्ध्र प्रदेश सरकार से राज्य में प्रमुख पत्तन के विकास के लिए वैकल्पिक स्थान सुझाने का अनुरोध किया गया है।

(ड.) संविधान के अनुच्छेद 170(3) के अनुसार, प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की कुल संख्या को तब तक पुन: समायोजित नहीं किया जाएगा, जब तक कि वर्ष 2026 के बाद पहली जनगणना के संगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते।

*****

अनुलग्नक

विभाजन के बाद आंध्र प्रदेश उत्तवर्ती राज्य को जारी की गई राशि नीचे दी गई है:

(करोड़ रु. में)

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के तहत प्रदान की गई केंद्रीय सहायता							
आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के प्रावधान	**'विशेष सहायता' उपबंध कराने के लिए चिह्नित मद**	**जारी राशि**					**वित्त वर्ष 2018-19 तक जारी कुल राशि**
		2014-15	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	
धारा 46(2)	संसाधन अंतर	2303.00	500.00	1176.50	-	-	3979.50
धारा 46(2) और (3) तथा 94 (2): विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों हेतु	रायलसीमा और उत्तर तटीय क्षेत्र को कवर करते हुए 7 पिछड़े हुए जिलों के लिए विकास अनुदान	350.00	350.00	350.00	-	-	1050.00
धारा 6 और 94 (3 तथा 4): नए राजधानी शहर की स्थापना के लिए केंद्रीय सहायता	आवश्यक अवसंरचना आदि के विकास के लिए राजधानी शहर हेतु सहायता	1500.00*	550.00	450.00	-	-	2500.00
धारा 90(1) पोलावरम सिंचाई परियोजना को अब राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दिया गया है**	सिंचाई हेतु पोलावरम राष्ट्रीय परियोजना	250.00#	600.00^	2514.70#	2000#	1400#	6764.70+
उप-जोड़		**4403.00**	**2000.00**	**4491.20**	**2000.00**	**1400**	**14294.20**
विशेष सहायता उपाय						15.81[$]	15.81
सकल जोड़		**4403.00**	**2000.00**	**4491.20**	**2000.00**	**1415.81**	**14310.01**

$: राज्य द्वारा वर्ष 2015-16 **से** 2017-18 **के दौरान हस्ताक्षरित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ईएपी) हेतु ब्याज की अदायगी तथा वितरण।**

#: जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग (डीओडब्ल्यूआर, आरडीएंडजीआर) द्वारा उपलब्ध कराए गए।

^: व्यय विभाग द्वारा जारी 200 **करोड़ रुपये के अनुदान सहित।**

****: परियोजना के केवल सिंचाई घटक की शेष लागत का 100% निधियन दिनांक** 01.04.2014 **से शुरू होने वाली अवधि के लिए उस दिन के अनुसार, सिंचाई घटक की लागत तक के लिए प्रदान किया जाएगा।**

***: शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी** 1000 **करोड़ रुपये सहित।**

+: सक्षम प्राधिकारी द्वारा खर्च संबंधी आंकड़ों को अंतिम रूप देने/लेखापरीक्षा के लंबित तक फिलहाल अंतरिम उपाय के रूप में दिनांक 08.11.2019 **को डीओडब्ल्यूआर, आरडीएंडजीआर को पोलावरम परियोजना को निधियित करने के लिए नाबार्ड के साथ एलटीआईएफ से** 1850 **करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि की अनुमति दी गई है।**

******